## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या—11/न0वि0/गठन—02/2025 — २२८३ /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 7 तथा विभागीय अधिसूचना संख्या 2145 दिनांक 10.08.2022 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचार करने के पश्चात उक्त अधिनियम के लिए कॉलम 3 के अन्तर्गत आनेवाले सारण जिले के कॉलम 4 में वर्णित चौहद्दी (सीमाओं) के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या—1475 दिनांक—23.05.2025 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, नगर पंचायत, सोनपुर को नगर परिषद में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को क्षेत्र में लागू करते हैं:—

क्र0 सं0	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम/थाना	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	नगर परिषद का	नगर परिषद की कुल जनसंख्या (वर्ष			
		न0		क्षेत्रफल	2011 जनगणना के आधार पर)			
1	2	3	4	5	6			
जिला का नाम-सारण								
1	नगर परिषद, सोनपुर	कोई नया ग्राम / क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया गया है।	उत्तर—बैजलपुर फकीर (61), दामोदरपुर (62), सकटियाँ (64), चित्रसेनपुर (72) दक्षिण —शाहपुर (116), नजरमीरा (115), सबलपुर, राहर दियरा (113) पूरब— गंडक नदी, जिला—वैशाली पश्चिम—दुधैला (92),जैतियाँ (93)		37776			

इस क्षेत्र को नगर परिषद, सोनपुर कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अभय कुमार सिंह) सरकार के सचिव। ज्ञापांक—11/न0वि0/गठन—02/2025 ३२६३ /न0वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक—**०४५८**० प्रतिलिपिः—अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग

को उपलब्ध कराई जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—11/न0वि0/गठन—02/2025 २२६३ /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक प्रश्री प्रितिलिपिः—माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिवं/सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संचिव।

ज्ञापांक—11 / न0वि0 / गठन—02 / 2025 🎝 🎝 ८३ / न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक र्भाक्ष 🙏 🖍 प्रतिलिपि:—सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवत, पटना / निदेशक, जनगणना निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । र्

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—11 / न0वि० / गठन—02 / 2025 २२६३ / न0वि० एवंआ०वि०, पटना, दिनांक **४०००** प्रतिलिपिः—सचिव के आप्त सचिव / सभी पदाधिकारी / आई०टी० प्रबधंक, नगर विकास एव आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

0

## <u>बिहार सरकार</u> नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या—11/न0वि0/गठन—02/25 अधिसूचना संख्या— दिनांक क्रिक्टिं दिनांक किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकत पाठ समझा जायेगा।

बिहाह राज्यपाल के आदेश से,

(अभय कुमार सिंह) सरकार के सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।

## Government of Bihar Urban Development and Housing Department

## **Notification**

Memo No-11/N. Vi./Gathan-02/25 In exercise of the powers conferred by sections 3 (1) (a), 4, 5, 6 and 7 of the Bihar Municipalities Act, 2007 (Bihar Act, 11, 2007) (as amended), and departmental notification number 2145 dated 10.08.2022 the Governor of Bihar, after due consideration of the objections received, in the areas falling within the boundaries as mentioned in column 4 of Saran district falling under column 3 of the following statement for the purposes of the said Act, the draft of which has been previously published by the departmental notification number 1475 dated 23.05.2025, upgrades Nagar Panchayat, Sonpur to Nagar Parishad and applies the relevant provisions of the said Act in the said areas:-

Sl. no	Name of Urban Body	Name /thana no. of include d Villages	Boundary (with thana no.) of Nagar Parishad	Area of Nagar Paris had	Total Population of Nagar Parishad (as per census year, 2011)			
1	2	3	4	5	6			
	Name of District-Saran							
1	Nagar	No new	North-Baijalpur Fakir (61),	7.73	37776			
	Parishad,	villege	Damodarpur (62), Sakatiya	Sqare				
	Sonpur	/Area	(64), Chitrasenpur(72)	K.M				
		has	South- Shahpur (116),					
		been	Najarmira (115), Sabalpur,					

added.	Rahar Diyara (113) East-Gandak River, District- Vaishali West- Dudhaila (92), Jaitiya	
·	(93)	

This area will be called Nagar Prishad, Sonpur.

2. This notification shall come in to force at once.

By the order of the Governor of Bihar

(Abhay Kumar Singh)

Secretary to Government

Memo No-11/N. Vi./Gathan-02/25 2263 UD&HD Dated:- 0410814

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.

(Abhay Kumar Singh)

Secretary to Government

Memo No-11/N. Vi./Gathan-02/252263 UD&HD Dated: -04168147 Copy to Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/OSD to Chief Secretary, Bihar/Develoment Commissioner, Bihar/Additional Chief Secretary/Pricipal Secretary/ Secretary Departments/All Departmental Heads/All Divisional Commissioner/All Magistrates/Municpal Commissioner. All Municipal Corporation/Excutive Officer, All Municipal Counil and Nagar Panchayat/ Accountant General Bihar, Patna/Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer, Saran for information and necessary action.

(Abhay Kumar Singh)

Secretary to Government

Memo No-11/N. Vi./Gathan-02/25 2263 UD&HD Dated: October Dated: Oc

Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Patna/Director of Census Directorate, Bihar, Patna for information and necessary action.

(Abhay Kumar Singh)

Secretary to Government

Memo No-11/N. Vi./Gathan-02/25 3263 UD&HD Dated:- o Alos & Copy to Private Secretary to the Secretary All Officer/IT, Manager, Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

(Abhay Kumar Singh)
Secretary to Government